

दिनांक

8-9-17

पञ्जाबी (Punjabi)

उपखण्ड अधिकारी

पञ्जाबी वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाके से किंग्ड के तलक से जाती, पञ्जाबी के प्रार्थना पत्र पर कानून करने वाली, वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र पर कानून करने जाती। कानून के दौरान वकील वादिया ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद पत्र का निष्कारण किया जाके से इनकार की।

मैने पञ्जाबी का डेक्लोरेशन किया, तथा प्रार्थना पत्र को कानून पर मगन किया गया। वादिया ने कानून के दौरान कानून किया कि वाद पत्र के इस वादिया एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा केके पक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं रहा है। तथा इस वादिया प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

इस कारण प्रार्थना पत्र के डेक्लोर वाद पत्र निष्कारण किया जाके।

नतः मध्य दिन के वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के डेक्लोर वाद पत्र के पञ्जाबी राजीनामा हो जाके। प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं बाक व दोनों पक्ष के मध्य वाद पत्र के कोई विवाद नहीं रहने के कारण प्रकरण को कार्यवाही नहीं रहे पर Drop भी जाती है। पञ्जाबी के इस सुधार को जाकर डफ्तर दारिद्वार है।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

सेवामें